तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 207/2025 (2025/489) अनवान सावित्री देवी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-1-26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी की खातेदारी की कृषि भूमियां वाके राजस्व ग्राम नारनाड़ी तहसील झंवर जोधपुर में खसरा संख्या 81 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 81/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 81/2 रकबा 1.4164 हैक्टेयर कुल खसरे तीन कुल रकबा 2.6062 आयी हुई स्थित है जिस पर प्रार्थीनी बहैसियत खातेदार मालिक काबिज काश्त है। प्रार्थीनी के उपरोक्त खसरान की कृषि भूमियां एक ही चक में स्थित हैं जिसके मुख्य सड़क पर जो खसरा संख्या 81/2 का मोहरा लगता है उक्त कटाणी रास्ता सड़क के खसरा संख्या 44/1 हैं एवं उसके पश्चात खसरा संख्या 44 की गैर मुमकिन नदी है। उक्त कटाणी रास्ते के खसरा संख्या 44/1 व गैर मुमकिन नदी के खसरा संख्या 44 पर प्रार्थीनी की उक्त खसरा संख्या 81/2 की सीमा लगती है जो कि राजस्व नक्शे में दर्ज तरमीम से भी स्पष्ट है उक्त कटाणी रास्ता के खसरा संख्या 44/1 एवं गैर मुमकिन नदी के खसरा संख्या 44 एवं प्रार्थीनी की खातेदारी के खसरा संख्या 81/2 की सीमाओं के स्थायी सीमाचिन्ह अंकित नही है। प्रार्थीनी ने कटाणी रास्ते व नदी के खसरा संख्या 44/1 व 44 का भी पूर्ण रूप से नक्शे अनुसार सीमाज्ञान हेतु राजस्व कर्मचारियों से निवेदन किया लेकिन प्रार्थीनी उक्त खसरों की खातेदार नहीं होने के कारण से राजस्व कर्मचारियों ने उक्त खसरों का सीमाज्ञान करने से इंकार कर दिया एवं प्रार्थीनी को कहा गया कि यदि आपके ही खातेदारी के खसरा संख्या 81/2 का सीमाज्ञान करना है तो कर सकते है लेकिन गैर मुमकिन सड़क एवं नदी के खसरों का सीमाज्ञान बिना सक्षम न्यायालय के आदेश नहीं किया जा सकता है। इस कारण से प्रार्थीनी पूर्ण रूप से अपनी खातेदारी के खसरा संख्या 81/2 की एवं कटाणी रास्ते के खसरा संख्या 44/1 एवं नदी के खसरा संख्या 44 की भूमि की राजस्व नक्शे में दर्ज तरमीम अनुसार सीमाज्ञान करवाकर नियमानुसार अपने ग्राम नारनाडी के कटाणी रास्ते के खसरा संख्या 44/1 गैर मुमकिन नदी के खसरा संख्या 44 एवं प्रार्थीनी के खसरा संख्या 81/2 जो कि कटाणी रास्ते के मोहरे व गैर मुमकिन नदी पर लगती सीमा पर स्थित है उक्त सीमाओं का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने का निवेदन किया है। ख प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः इन परिस्थितियों के मध्य नजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीनी की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम नारनाडी के कटाणी रास्ते के खसरा संख्या 44/1 गैर मुमकिन नदी के खसरा संख्या 44 एवं प्रार्थीनी के खसरा संख्या 81/2 की राजस्व नक्शे में दर्ज तरमीम अनुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करने का आदेश तहसीलदार झंवर को दिया जाता है। गै. मु. कटाणी रास्ते के खसरा संख्या 44/1 के भी दर्ज तरमीम अनुसार सीमाज्ञान कर रास्ते की भूमि के भी स्थायी सीमाज्ञान अंकित किये जावें ताकि उक्त रास्ते के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई व्यवधन पैदा नहीं होवें। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	